

RECOMMENDATION
Site Inspection Regarding Morand Ganjal Irrigation Project

01	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का बयौरा दिया जावे।	मोरण्ड गंजाल उद्वहन सिंचाई परियोजना में कुल 64111 हे० भूमि की सिंचाई भूमिगत दाब पाईपलाईन के माध्यम से की जायेगी जो नर्मदा की सहायक नदियों मोरण्ड और गंजाल पर अलग से बनाये गये बांधों से निकलती है। इस योजना के माध्यम से 201 गांव को सिंचाई की सुविधा एवं पेयजल आपूर्ति की जायेगी। प्रस्तावित वन भूमि का व्यवर्तन व्यापक जनहित में है। अतः क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवन के संरक्षण और संवर्धन हेतु उपयुक्त शमन उपायों को सम्मिलित करने की शर्त के साथ उपर्युक्त वन भूमि के व्यवर्तन हेतु मैं सहमति व्यक्त करता हूँ।
----	---	---

दिनांक :- 21.02.2023

स्थान :- हरदा (म.उ.)


वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल (सामान्य) हरदा